मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल

क्रमांक एफ0न0क्र0 70/रा.आ./क0म0/2013 — भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 2013

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।

विषय: राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के अंतर्गत– पूर्ण नष्ट (मरम्मत योग्य नहीं) कच्चे मकान हेतु सहायता के सम्बंध में।

संदर्भ: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का परिपत्र क्रमांक 10298/22/वि–7/ग्रा0आ/2013 दिनांक 11/09/2013।

कृपया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संदर्भित निर्देश परिपत्र का अवलोकन करें।

2/ जैसा कि आपको विदित है राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक–4 में दिनांक 27.08.2013 को कतिपय संशोधन किए गये थे जिनमें पूर्ण नष्ट (मरम्मत योग्य नहीं) कच्चा मकान के लिए स्तम्भ–4 में किए गये संशोधन को इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 6–6/2012/सात–3 दिनांक 24.09.2013 के द्वारा विलोपित किया गया है।

3/ राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि पूर्ण नष्ट (मरम्मत योग्य नहीं) कच्चा मकान के लिए वर्ष 2013 में हुई अतिवृष्टि को ध्यान में रखते हुए **दिनांक 25 जनू, 2013 से दिनांक 15 सितम्बर, 2013 की अवधि** में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण नष्ट (मरम्मत योग्य नहीं) कच्चे मकानों के प्रभावितों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक–4 की कार्यवाही के उपरान्त ग्रामीण विकास विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 11/09/2013 के अनुसरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्ताव भेजे जाएं। प्रस्ताव के साथ प्रभावित परिवारों को मांग संख्या 58 से प्रकरणवार दी गई सहायता राशि का विवरण भी दिया जाए ताकि ग्रामीण विकास विभाग के उपरोक्त परिपत्र अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा प्रभावित परिवारों को आवास उपलब्ध कराते समय राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 के अतर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता राशि रूपये 20,000/– का समायोजन सुनिश्चित किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
24/9/13

(आर.के.चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

पृ.क्रमांक एफ0न0क्र0 70/रा.आ./क0म0/2013 — भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि–

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग
3. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

सूचनार्थः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश
2. निज सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल,
3. निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, जन सम्पर्क, (वल्लभ भवन प्रकोष्ठ), भोपाल।

24/9/13

अवर सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग